शाखा प्रबन्धक के द्वारा प्रार्थी को अल्पकालिक ऋण का आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुये कहा गया कि आज कल बैंक का काम काज अ०नलाईन होता है इसलिये आप पहले अपने राजस्व रेकर्ड को अन्य दस्तावेजात के अनुसार दुरुस्त करवावो इसके बाद ही अल्पकालिक ऋण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सकेगा। प्रार्थी को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की गलत प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और प्रार्थी राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर यह रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वाद कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वादी की खातेदारी भूमि में पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 2246 के जरिये पुखा पुत्र भंवरू दर्ज किया गया था। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में पुखराज सांखला पुत्र भंवरलाल दर्ज है बिन्दु संख्या 05 से 11 कानूनी है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष श्रीमानजी के न्यायालय के श्रेत्राधिकार से संबंधित है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता भंवरू पुत्र बालू के के फौत हो जाने से फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 2246 विरासत का दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम पुखराज सांखला पुत्र भंवरलाल की बजाय पुखा पुत्र भंवरू दर्ज कर दिया, जो एक आधा अधूरा एवं अशुद्ध नाम है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुखराज सांखला पुत्र भंवरलाल के नाम जारी पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/432197, पुखराज सांखला पुत्र भंवरलाल के नाम जारी आधार कार्ड संख्या 215990985250 प्रदर्श कराए है। यह सही है कि खातेदार को नाम या पिता के नाम संबंधी गलत अंकन के कारण वर्तमान ऑनलाइन सेवाओं के दौर में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा खातेदार को अपनी आराजी के संबंध में सही तथ्यों को इन्द्राज करवानें का अधिकार है। प्रार्थी के शपथ-पत्र, अन्य जमाबंदी में अंकन और प्रदर्श दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 बखूबी साबित होनें, सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ग्राम- रास, पटवार हल्का- रास-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र- रास तहसील-जैतारण, जिला- ब्यावर के खसरा नम्बर 49 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 50 रकबा 1.7077 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 54 रकबा 5.0990 हैक्टेयर चाही दोयम, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.2752 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.0648 हैक्टेयर गै.मु. बेरा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

नम्बर 59 रकबा 0.9712 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 60 रकबा 2.9299 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 801/11 रकबा 1.4569 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1431/17 रकबा 0.5261 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण दर्ज नाम **"पुखा पुत्र भंवरू"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर प्रार्थी/खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम **"पुखराज सांखला पुत्र भंवरलाल"** दर्ज करते हुये तहसीलदार, जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 27/11/2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण (ब्यावर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)